





भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/ 9A

आर बी ई सं. 5 7/2009

सं. पीसी-6/2008/आई/7/5/3 नई दिल्ली, दिनांक 2203.2009

महानिदेशक. अन्.अभि. एवं मानक संगठन, लखनऊ

> विषयः अ.अ.मा.सं. में संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारियों की उप निदेशक, सं.निदेशक और निदेशक रुप में और ग्रूप "बी" अधिकारियों की वरिष्ठ वेतनमान पद पर तैनाती पर कार्यकाल भत्ता।

कृपया उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय का 12.2.2004 का पत्र सं. पी सी-5/98/आई/7/3 देखें।

- 2. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के परिणामस्वरुप, राष्ट्रपति जी सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि अ.अ. गा.सं. में उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक के रूप में तैनात किए जाने पर संगठित गुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारी अपने ग्रेड में वेतन के अलावा नीचे यथा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों पर कार्यकाल भत्ता पाने के पात्र होंगें:-
- ं) उप निदेशक, सं.निदेशक और निदेशक रुप में अ.अ.मा.सं. मे तैनात संगठित गुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारी एक निर्धारित कार्यकाल तक तैनात किए जाएंगे जिसकी समाप्ति पर उन्हें क्षेत्रीय रेलों / उत्पादन इकाइयों / निर्माण संगठनों में फील्ड पदों पर वापस भेज दिया जाएगा।
- ii) अ.अ.मा.सं. में उप निदेशकों, सं.निदेशकों और निदेशकों के रूप में तैनात संगठित गुप "ए" रेल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों को उनके मूल वेतन के 10% की दर पर कार्यकाल भत्ते का मुगतान किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 4000 / - रु. होगी।

- iii) इस भत्ते का भुगतान उप निदेशक के लिए तीन वर्ष, संयुक्त निदेशक के लिए चार वर्ष तथा निदेशक के लिए पांच वर्ष के सामान्य कार्यकाल के बाद नहीं किया जाएगा।
- iv) अ.अ.मा.सं. में वरि.प्रशा. ग्रेड तथा इससे ऊपर के अधिकारियों के रूप में इन सेवाओं के अधिकारियों को कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- v) यह भत्ता उन उपनिदेशकों / संयुक्त निदेशकों / निदेशकों को स्वाकार्य नहीं होगा जिनका अधिवर्षिता के बाद कार्यकाल बढ़ा दिया गया हो अथवा जिनका पुनर्नियोजन किया गया हो।
- vi) उन मामलों में जहां कार्यकाल तैनाती किसी निचले ग्रेड वेतन के पद के लिए है, तो ऐसे पद पर जाने वाला अधिकारी ऐसी कार्यकाल तैनाती से पहले धारित पद पर आहरित किए जा रहे वेतन में कोई परिवर्तन किए बिना कार्यकाल पद पर संलग्न ग्रेड वेतन आहरित करेगा।

संशोधित वेतन ढांचे "मूल वेतन" का अर्थ निर्धारित वेतन बैंड जमा लागू ग्रेड वेतन में आहरित वेतन से है परन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है:—

- 3. बोर्ड के पत्र सं. पीसी-5/98/आई/7/3 दिनांक 12.2.2004 के पैरा 4 में दर्शाए गई शर्ते लागू रहेगीं।
- 4 तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रुप से कार्य कर रहे होत्रीय रेलों के ग्रुप "बी" अधिकारी अ.अ.मा.सं. में वरिष्ठ वेतनमान में तैनात होने पर 600/- रु. प्रतिमाह का कार्यकाल भत्ता अगले आदेश तक प्राप्त करते रहेंगें।
- 5. ये आदेश 1 सितम्बर, 2008 से लागू होंगें।
- 6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है।

काशी थॉमस) (कोशी थॉमस)

संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग-II रेलवे बोर्ड.